

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)
बईजलास श्रीमति सुनिता यादव, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

श्रीमति कमला पुत्री बालु ढोली निवासी आरणी हाल शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

— वादिया

बनाम

1. मु. प्रेम पुत्री मगना ढोली निवासी आरणी तहसील शाहपुरा
2. मु. सायर पुत्री मदन ढोली निवासी आरणी तहसील शाहपुरा
3. सोहन पुत्र मदन ढोली निवासी आरणी तहसील शाहपुरा
4. मु. रतनी पुत्री मदन ढोली निवासी आरणी तहसील शाहपुरा
5. मु. रामकन्या पुत्री मदन ढोली निवासी आरणी तहसील शाहपुरा
6. तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

— प्रतिवादी

वाद पत्र बाबत खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा व कब्जेयाबी

मुकदमा नम्बर 300 सन् 2012 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई वX मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :-

अभिभाषक वादिया के नोट प्रेस किये जाने से वाद वादीगण खारिज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 20 माह 09 सन् 2022 को जारी की गई।



(सुनिता यादव)

आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक सल्लाहकार शाहपुरा (भीलवाड़ा)
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.